रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11102021-230333
SG-DL-E-11102021-230333

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 205
No. 292]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 205

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

अधिसूचना

दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2021

सं.फा.सीईओ / प्रशा. / 106(13) / भर्ती नियम / एमटीएस / 2018 / 18793–799—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2019 को दिल्ली राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 26 अगस्त 2019 की अधिसूचना संख्या सीईओ / प्रशा. / 106(13) / भर्ती नियम / एमटीएस / 2018 / 54615–21 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं–

(1) उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कॉलम संख्या 6 (सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा) के अंतर्गत मौजूदा प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात–

सीधी भर्ती हेतु आयु–सीमा
6
18 से 25 वर्ष के बीच कर्मचारी चयन आयोग अथवा किसी अन्य समान भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में 18 से 27

वर्ष के बीच। टीप–1 : आयु–सीमा निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। टीप–2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु–सीमा निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तिथि तक रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

(2) और, उक्त अधिसूचना के लिए संलग्न अनुसूची में कॉलम संख्या 12 (यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है) के अंतर्गत मौजूदा प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात–

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।
12
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण पर विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशासनिक सुधार) : अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष : सदस्य 3. उप–सचिव (सा.प्रशा.वि.) : सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

सतेन्द्र कुमार, निर्वाचन अधिकारी (प्रशासन)

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

NOTIFICATION

Delhi, the 8th October, 2021

No. F.CEO/Admn/106(13)/RRs/MTS/2018/18793-799:-- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number G.S.R.840, dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following amendment in the Notification No.CEO/Admn/106 (13)/RRs/MTS/2018/54615-21 dated 26th August, 2019 published in the Delhi Gazette Extraordinary dated 26th August, 2019, namely:-

(1) In the schedule annexed to the said notification for the existing entry under Column No. 6 (Age limit for direct recruits) the following shall be substituted, namely:-

Age limit for direct recruits.
6
Between 18 and 25 years. Between 18-27 years in the case of recruitment made through Staff Selection Commission or any other similar recruitment agencies. **Note-1**: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board/Competent Authority. **Note-2**: In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

(2) And, in the schedule annexed to the said notification for the existing entry under Column No. 12 (If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.) the following shall be substituted, namely:

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
12
Group 'C'Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Principal Secretary/Secretary (AR): **Chairman** 2. Head of Department Concerned: **Member** 3. Deputy Secretary (GAD) : **Member**

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SATENDRA KUMAR, Election officer (ADMN.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.10.11 15:46:47 +05'30'